न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0–261/2010
CIS NO.-PS.-22/2022

पारस महतो.....वादी

बनाम

मु0 कौशल्या एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
21.09.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज आवेदकगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.10.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** आवेदकगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के वादी पारस महतो की मृत्यु दिनांक 11.01.2019 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद दिनांक 12.07.2018 को खारिज हो गया तदोपरांत वादी पारस महतो द्वारा विविध वाद सं0–18/2018 मूल बंटवारा वाद को पुनःजीवित करने हेतु श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल किया गया परंतु विविध वाद लंबन के दौरान पारस महतो की मृत्यु हो गयी तथा उसके विधिक वारिसानों द्वारा विविध वाद में प्रतिस्थापन आवेदन दिया गया जो सुनवाई उपरांत स्वीकृत हुआ। विविध वाद में प्रतिस्थापित वादी द्वारा संघर्ष करने के बाद मूल वाद सं0–261/2010 पुनःजीवित हुआ। अतः मूल बंटवारा वाद में भी मृतक वादी पारस महतो का नाम कलमजद करना तथा उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। मृत वादी अपने विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे चार पुत्र अनिरूद्ध चौहान, राजेन्द्र चौहान, सुरेन्द्र चौहान एवं अशोक चौहान तथा एक पुत्री चैनपति देवी को छोडकर मरे है। अतः वादपत्र से वादी पारस महतो का नाम कलमजद करने तथा मृतक के स्थान पर	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–261/2010</u>

<u>CIS NO.-PS.-22/2022</u>

पारस महतो.....वादी

बनाम

मु0 कौशल्या एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 21.09.2023	उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करे। जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से आवेदकगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी पारस महतो की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है तथा विविध वाद सं0–18/2018 में दिनांक 25.10.2019 को मृतक वादी के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया गया है। आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र भी दाखिल किया है। अतः न्यायहित में आवेदकगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत वादी पारस महतो का नाम कलमजद करें तथा आवेदनानुसार मृतक के विधिक प्रतिनिधियों का नाम प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक 16.10.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	